राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ 4 ( ) पंरावि/पीसी/विविध/2013/187 जयपुर दिनांक :– 19-02-2013

परिपत्र

विषय :– पंचायती राज के अधीन विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यो के उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू के पत्र क्र. जिप/ चूरू/निर्माण/2012/10062 दि. 21.12.12 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 334 व 178 में मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः इस कम में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के **नियम 334 में विकास अधिकारी की अन्य शक्तियां और कर्तव्य** निर्धारित करते हुए इसी नियम के **उप–नियम (31)** में प्रावधान है कि **स्थल सत्यापन के पश्चात् कार्य का समापन प्रमाण–पत्र** (Completion Certificate) **जारी करना है।** यहां नियम की भावना सिर्फ उन कार्यो तक सीमित होगी जिनके लिए पंचायत समिति ही कार्यकारी एजेन्सी होगी। अतः यह नियम ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये कार्यो के संबंध में लागू नहीं समझा जावेगा।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के **नियम 178(3) समापन प्रमाण–पत्र** (Completion Certificate) पर सरपंच और कनिष्ठ अभियन्ता दोनो के हस्ताक्षर किये जायेगे, के प्रावधान से भी स्वतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यो के संबंध में सरपंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता ही समापन प्रमाण–पत्र (Completion Certificate) पर हस्ताक्षर करेगें। अतः पंचायती राज (कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत) के अधीन विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यो के उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्रों पर विकास अधिकारी हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत नहीं है।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4 जिला प्रमुख, जिला परिषद समस्त।
5 प्रधान, पंचायत समिति समस्त।
6 सरपंच, ग्राम पंचायत समस्त।
7 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
9 वित्तीय सलहाकार, मुख्यालय।
10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (चूरू को छोड कर)।
11 अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
12 अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी / एल.आर.), जिला परिषद समस्त।
13 लेखाधीकारी, जिला परिषद समस्त।
14 विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
15 सहायक अभियन्ता (अभियान्त्रिकी / एल.आर.), जिला परिषद समस्त।
16 सहायक अभियन्ता / वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति समस्त।
17 प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18 लेखाकार, पंचायत समिति समस्त
18 कनिष्ठ अभियन्ता / कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति समस्त।
19 ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत समस्त।
20 रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त